अपील सूचना का अधिकार संख्या 92/2021 (GCMS 2021/148)(आईटीआई पोर्टल नं.212636975355383) काशीराम पुत्र रामचन्द्र, मकान नं. 227 वार्ड नं. 09, एलआईसी रोड, 15, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी काशीराम स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी काशीराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दिनांक 03.07.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने उस समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

1. टीकूराम पुत्र दुलाराम कौम मेघवंशी गांव 59 एलएनपी (लालेवाला) रिडमलसर तहसील पदमपुर उप तहसील बींझबायला में उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटन भूमि की मूल पत्रावली की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे।
2. टीकूराम पुत्र दुलाराम को उपनिवेशन विभाग ने 1953 में भूमि आवंटन की थी। उस समय आवंटन कितनी भूमि हुई थी, सूचना दी जावे, टीकूराम व अन्य व्यक्तियों का नाम आवंटन के समय में था या नहीं, सूचना दी जावे।
3. वर्तमान में टीकूराम पुत्र दुलाराम खाता संख्या 66 पुराना खाता संख्या 1513 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक रिकॉर्ड/सूकाअ/21/28 दिनांक 30.09.2029 से अपील का जवाब प्रेषित किया है परन्तु अपीलार्थी दिनांक 04.10.2021 को स्वयं उपस्थित हुए थे और कथन किया है कि उन्होने गलती से उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के विरूद्ध अपील पेश की थी, जिसे वे आगे नहीं चलाना चाहते है जिसका अंकन अपीलार्थी ने पत्रावली की फर्दअहकाम दिनांक 04.10.2021 के हाशिये पर किया है। चूंकि अपीलार्थी स्वयं अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है, इसलिए अपीलार्थी की अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested